न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि जयपुर

31/2024 रामेश्वर बनाम मोतीराम

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/03/24 रामेश्वर [illegible] T. [illegible]	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को विड्रो किये जाने का पेशकर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादपत्र को विड्रो करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी/वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान वादी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी/वादी को प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को विड्रो किये जाने पर सुनने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान मे रखते हुऐ पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को विड्रो किये जाने का स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को विड्रो करने का स्वीकार किया जाकर वादपत्र को विड्रो करने की अनुमति दी जाकर वादी का विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर